

२०१२

मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मत्रालय, भोपाल

// आदेश //

३०-६-२०१२

२०१२

भोपाल, दिनांक १५ - ६ - १२

क्रमांक एक १-०८, २०१२ / घयालीस(१)

विभागीय आदेश क्रमांक १-३५ /९९/४२-१, दिनांक ०५ / ०५ / २००१ द्वारा ग्रथपाल / पीटीआई को एजाइसेंट वैतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें उक्त वैतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु वर्ष १९८० के पश्चात मध्यपालों को एजाइसीटीई विस्तरीय वैतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक अहंता दर्शाइ गई है :-

एमलिव साइंस ५५ प्रतिशत औलिव साइंस ६० प्रतिशत या एमए / एमकान / एमएससी ६५ प्रतिशत अंकों के साथ औलिव साइंस ५० प्रतिशत निर्धारित है। ग्रथपालों / पीटीआई को विस्तरीय वैतनमान स्वीकृत किये जाने के निर्देश प्रभावशील है। उपरोक्त वाक्यान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलोटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संघ) सेवा (मर्टी) नियम-२००४ के अनुसार प्रबन्ध श्रेणी वैतनमान हेतु पीएचडी की शैक्षणिक अहंता आवश्यक नहीं है। किन्तु वैतनमान में उपरोक्त सेवा भवती नियम २००४ प्रभावशील होने के कारण ग्रथपाल / पीटीआई को प्रबन्ध श्रेणी वैतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित अहंता प्राप्ति की गई हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित कराया गया हो में छूट प्रदान की जाती है शेष अहंता यथावत आवश्यक होगी यह छूट वैतनमान में कार्यस्त ग्रथपाल / पीटीआई को प्राप्त होगी नवीन नियुक्तियों पर यह आदेश प्रभावशील नहीं माना जावेगा।

अतः याज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संघ) सेवा (मर्टी) नियम-२००४ की अनुसूची- ३ के अनुक्रम-६ के पश्चात टिप्पण क्रमांक-३ एवं ७ में ग्रथपाल / पीटीआई को प्रबन्ध श्रेणी वैतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित अहंता पीएचडी की उपाधि प्राप्ति की गई हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित कराया गया हो में छूट प्रदान की जाती है शेष अहंता यथावत आवश्यक होगी यह छूट वैतनमान में कार्यस्त ग्रथपाल / पीटीआई को प्राप्त होगी नवीन नियुक्तियों पर यह आदेश प्रभावशील नहीं माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के सार्वजनिक के नाम से

तथा आदेशानुसार

२१५/१२
(डॉ० शशि कर्णोवत)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ० क्रमांक एक १-०८, २०१२ / घयालीस(१)

भोपाल, दिनांक १५ - ६ - १२

प्रतिलिपि :-

१. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
२. महालोकाकाश, मध्यप्रदेश, गवालियर।
३. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, संचालन, भोपाल।
४. सचिव, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।